राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0
सेक्टर–7/23, गोमती नगर विस्तार, निकट 100 डायल आफिस
लखनऊ–226002

पत्रांकः–/76/10/छः/विविध/तक0/विविध/12–13 TC-1 दिनांकः– 24-9-2019

समस्त परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा),
उत्तर प्रदेश।

विषयः–**मुख्यमंत्री अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत इण्टरलॉकिंग सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण की डीपीआर के संबंध में।**

मुख्यमंत्री अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत डूडा द्वारा इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कर अभिकरण को परीक्षणोपरान्त स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाते है। जिनका अभिकरण स्तर पर परीक्षण में यह देखने में आ रहा है कि डीपीआर के गठन में शासनादेश सं0 117/2017/1279/69–1–17–14(31)/2012टीसी दिनांक 26.10.2017 तथा अभिकरण के पत्र सं0 3254/76/10/छः/तक0/विविध/2012–13 दिनांक 22.11.2017 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित परियोजना अधिकारी, डीपीआर के गठन, चेक लिस्ट एवं प्रमाण पत्र भरने में पर्याप्त रूचि नहीं ले रहे हैं। जिससे प्रमाण पत्र, चेक लिस्ट अधूरे एवं अपूर्ण रहते है। यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक है। डीपीआर के गठन चेक लिस्ट एवं प्रमाण पत्र भरने में निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें, अन्यथा कमी पाये जाने पर अभिकरण में डीपीआर स्वीकार ही नहीं किये जायेंगे। अभिकरण स्तर प्रस्ताव/आगणन के परीक्षण में कतिपय कमियॉ प्रकाश में आई, जो निम्नवत् हैः–

1. डीपीआर/परियोजना में परियोजना निदेशक, परियोजना अधिकारी एवं अवर अभियन्ता के हस्ताक्षर में नाम एवं पदनाम वाली मोहर नहीं लगी पायी गयी। जिसे प्रत्येक दशा में लगाया जाना सुनिश्चित करें।

2. परियोजनाओं के साथ संलग्न चेक–लिस्ट में प्रश्नगत क्षतिग्रस्त सड़क किस विभाग द्वारा एवं कितने वर्ष पूर्व बनायी गयी है, यह कॉलम सामान्यतः अपूर्ण पाया गया है। प्रत्येक दशा में स्वयं पूर्ण कर संलग्न करना सुनिश्चित करें।

3. चेक–लिस्ट एवं प्रमाण पत्र की सभी प्रविष्टियॉ पूर्ण कराकर भेजे।

4. डीपीआर की अधिकांश परियोजनाओं में सामान्यतः **अक्षान्तर एवं देशान्तर के रंगीन फोटोग्राफ** नहीं लगाये जाते है, भविष्य में बिना अक्षान्तर एवं देशान्तर के फोटो डीपीआर में प्रस्तुत किये जाने पर ये मानते हुये कि ये कार्य स्थल की फोटो नहीं है स्वीकार नहीं की जायेंगी।

5. प्रस्तावित कार्य स्थल के **फोटोग्राफ 4"x6" साइज** के आगणन में लगाये जायें, इससे कम साइज स्वीकार नहीं होगें।

6. फोटोग्राफ सादे कागज पर चस्पा कर या रंगीन स्केन कर जे0ई0 एवं पी0ओ0 द्वारा चस्पा या स्केन फोटो इस प्रकार प्रमाणित की जाएगी जिसमें हस्ताक्षर का आधा भाग फोटो पर एवं आधा पृष्ठ भाग पर रहेगा।

7. परियोजना में 10 या उससे अधिक गलियां होने पर तीन भाग (प्रारम्भ, मध्य एवं अंतिम) के फोटोग्राफ उपरोक्त साइज के ही चस्पा या स्केन कर लगाये जायेंगे।

8. परियोजनाओं में संलग्न चेक–लिस्टों की प्रविष्टियां प्रायः टाईप की हुयी पायी जाती हैं, जिसे परियोजना अधिकारी द्वारा स्वयं **हस्त–लिपि** से पूर्ण कर हस्ताक्षर एंव मुहर सहित डीपीआर में संलग्न किया जाना सुनिश्चित करें।

9. चेक–लिस्ट में सड़क की प्रकृति–सी0सी0 अथवा इण्टरलॉकिंग का स्पष्ट उल्लेख किया जायें।

10. आगणन तैयार करने से पूर्व सम्बन्धित नगर निकाय से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, कि सड़क कच्ची/क्षतिग्रस्त है तथा बनाने योग्य है। साथ ही इस बात का प्रमाण पत्र कि परियोजना स्वीकृत होने के बाद निर्माण के पूर्व सूचना/पत्र द्वारा समस्त निर्माणकारी संस्थाओं को निर्माण कार्य कराने के संबंध में सूचित किया जायेगा। प्रमाण पत्र डीपीआर में भी संलग्न करें।

11. डूडा के निर्माण कार्यों के लिए जो भी अवर अभियन्ता जनपद स्तर पर नामित किये गये हैं, **उनके नाम की मुहर में मूल विभाग का भी उल्लेख हो, और उनका स्पष्ट नाम/पदनाम/जिला अंकित हो।** जिसे भविष्य में उससे संबंधित निर्माण कार्यों में अनियमितता पाये जाने पर उनका उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु यथोचित कार्यवाही की जा सके।

12. प्रायः जनपदों की डीपीआर को अभिकरण स्तर से परीक्षण में पाया गया कि डीपीआर में ले–आउट–प्लान, चेक–लिस्ट, प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स इत्यादि की छायाप्रति संलग्न की जा रही है। ऐसे सभी प्रपत्र मूल रूप से ही संलग्न किये जायें।

13. डीपीआर/परियोजना में संलग्न ले–आउट प्लान प्रायः अधूरे पाये जाते है, जिसे प्रत्येक दशा में पूर्ण कराकर ही डीपीआर मुख्यालय प्रेषित की जाये।

14. आगणन के ले–आउट प्लान में गलियों के स्थानीय निवासियों के नाम एवं महत्तवपूर्ण स्थलों के नाम (लैण्डमार्क) प्रायः अस्पष्ट एवं अधूरे पाये गये, जिन्हें सुस्पष्ट रूप से अंकित किया जायें।

15. कई जनपदों की डीपीआर में अभिकरण स्तर से परीक्षण किये जाने पर **आगणन एवं चेक–लिस्ट/फोटोग्राफ/ले–आउट प्लान पर परियोजना अधिकारी एवं संबंधित अवर**

अभियन्ता द्वारा हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम की मुहर नहीं लगायी जाती है। जिसे प्रत्येक दशा में लगाया जायें।

16. कई जनपदों की डीपीआर में अभिकरण स्तर से परीक्षण में पाया गया कि आगणन के साथ संलग्न ले–आउट प्लान एवं फोटोग्राफ्स पर कार्यों का विस्तृत विवरण अंकित नहीं किया जा रहा है, जिसे प्रत्येक दशा में अंकित किया जाए।

17. **प्रस्ताव/परियोजनाओं के परीक्षण में पाया गया कि जनपदों द्वारा सी0सी0 सड़क निर्माण कार्य के प्रस्ताव अभिकरण को प्रेषित किये जाते है। जिसके सम्बन्ध में शासनादेश 117/2017/1279/69–1–17–14(31)/2012टीसी दिनांक 26.10.2017 में यह व्यवस्था है कि जल भराव वाले स्थल पर ही सी0सी0 सड़क निर्माण का कार्य कराया जायेगा। सम्बन्धित स्थल में जल भराव का प्रमाण पत्र अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता एवं परियोजना अधिकारी द्वारा आगणन में संलग्न किया जायें।**

18. **डीपीआर/परियोजनाएं जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकण के माध्यम से अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।**

अतएव उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि योजनान्तर्गत संदर्भित बिन्दुओं को प्रत्येक दशा में परियोजनाओं में समावेश करते हुए नियमानुसार डीपीआर/आगणन 02 प्रतियों में अभिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। **डीपीआर/आगणन अपूर्ण पाये जाने की स्थिति में पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना अधिकारी/प्रभारी परियोजना अधिकारी पर निर्धारित होगा।**

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैवः–
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर निदेशक, सूडा।
2. वित्त नियंत्रक, सूडा।
3. सहा0 निदेशक, सूडा।
4. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
5. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)।
6. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(उमेश प्रताप सिंह)
निदेशक